न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 13.08.2024

मुकदमा नम्बर 53/2024
ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/127
शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी की ओर से
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर (0.0300 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 9.1600 हैक्टेयर बारानी) खसरा नम्बर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर बिदावतान में स्थित है वादी के पिता बच्चनसिंह के फौत होने के बाद जब राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम शिशपालसिंह की जगह रिछपालसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम शिशपालसिंह है, वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम रिछपालसिंह लिख दिया जबकि वादी का नाम शिशपालसिंह दर्ज होना चाहिए था उक्त खेत पर वादी का कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व के अनुसार वादी ने पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज शिशपालसिंह के नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शिशपालसिंह की जगह रिछपालसिंह दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का पहचान के दस्तावेजो के विपरीत होने से दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने पहचान के सबूत में शिशपालसिंह होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम शिशपालसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम रिछपालसिंह पुत्र बच्चन सिंह दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरुद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा स्टैट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मांगा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में सशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही कितासर बिदावतान के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तूत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाने की कृपा करें ।

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर (0.0300 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 9.1600 हैक्टेयर बारानी) खसरा नम्बर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर बिदावतान में रिछपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह घोषित किया जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर (0.0300 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 9.1600 हैक्टेयर बारानी) खसरा नम्बर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर में रिछपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर (0.0300 हैक्टेयर गैर मुमकिन, 9.1600 हैक्टेयर बारानी) खसरा नम्बर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर बिदावतान में दर्ज खाते का नाम रिछपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

— प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 53/2024
दावा बाबतः, घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 13.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर (0.0300 हैक्टेयर गैर मुमकिन, 9.1600 हैक्टेयर बारानी) खसरा नम्बर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर बिदावतान में दर्ज खाते का नाम रिछपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह शिशपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 13 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ